न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–223/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00114)

01. भूरी देवी पुत्री रामदेव, जाति माली, निवासी ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी महारकलां तहसील चौमू जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

01. भूरा पुत्र अर्जुन,
02. हनुमान पुत्र अर्जुन,
03. बद्री पुत्र अर्जुन,
04. ग्यारसी लाल पुत्र अर्जु,
05. जगदीश पुत्र अर्जुन, समस्त जतियान माली निवासी ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
06. कमली पुत्री रामदेव, जाति माली, निवासी ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी खातीयों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 7, मालपुरा जिला टोंक, राजस्थान।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिलो जयपुर।
08. नाथू पुत्र स्व. श्री भींवा, जाति माली निवासी ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर। **(मृतक)**
    - 8/1. कमला पत्नी स्व. श्री नाथू, जाति माली, निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
    - 8/2. दीपक पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति माली निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
    - 8/3. गिरधारी पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति माली निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
    - 8/4. किशोर पुत्र स्व. श्री नाथू, जाति माली निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
    - 8/5. किरण पुत्र स्व. श्री नाथू, नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता कमला देवी जाति माली निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
    - 8/6. गणेश नाबालिंग पुत्र नाथू जरिये संरक्षिका माता कमली देवी, जाति माली निवासी आर्दश कॉलोनी वार्ड नम्बर 17, बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
09. मदन पुत्र भींवा, जाति माली निवासी बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 17.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जिला जयपुर के आदेश दिनांक 28.08.2019 (प्रकरण संख्या 14/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. रामदेव पिता काना माली के दो पुत्रीयॉ भूरी देवी अपीलान्ट व कमला देवी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 उत्पन्न हुई जिन्हे मृतक रामदेव पुत्र काना के फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार की सूचना नही दी गई तथा हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा नामान्तरकरण में यह अंकन किया गया कि रामदेव खातेदार फौत हो गया है जिनके जायन्दा पुत्र औरत नही है, यह अजुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश है तथा उक्त नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम तस्दीक कर दिया गया, अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही विवादित आराजीयात खाता संख्या 409 जिसके गत कुल खसरा संख्या 16 का रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा में रामदेव पुत्र काना का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में तस्दीक किया गया, उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 5387 लगायत 5401 कुल रकबा 2.95 हैक्टयर, खसरा संख्या 5354 लगायत 5357 कुल किता 4 कुल रकबा 1.62 हैक्टयर बने है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस है जिन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है, जो विधि एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया गया कि नियमित वाद विचाराधीन रहते हुये विचाराधीन अपील की कार्यवाही स्थगित की जाकर नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया को स्थगित की जावे, उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 28.08.08 को विरासत के नामान्तरकरण के बाबत पेश की गई है तथा वाद पत्र दिनांक 30.12.08 को दुरूस्ती, इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र धारा 151 पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 14.06.16 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई जो खारिज कर दी गई, पत्रावली रेस्पोडेन्ट द्वारा हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर में पेश होने पर पत्रावली हस्तान्तरण की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत की गई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2019 को अपीलाट की अपील को पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के विपरित जाकर विधि विधान के विरूद्ध खारिज कर दी गई जो निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के तर्को व जवाब से ही भी यह स्पष्ट है कि मृतक रामदेव

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पुत्र काना की अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 जायन्दा पुत्रीयॉ है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अपीलान्ट की अपील को खारिज किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न विधि व तथ्यों के अंतवलित नही था जिसका निस्तारण अपील में नही किया जा सकता हो क्योंकि केवल अपील में यह देखा जाना था कि मृतक के मृत्यु उपरान्त मृतक के कितने जीवित वारिस है, स्वयं रेस्पोडेन्ट का भी यह कथन है कि मृतक के दो जीवित पुत्रीयॉ है इन सभी दस्तावेजात व जवाब का अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.219 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासत व उत्तराधिकार दत्तक वसीयत आदि के निर्णय बाबत कोई प्रश्न ही नही था जो नामान्तरकरण की पृष्ट पर अंकित तथ्यों से भी स्पष्ट है कि मृतक के भाई अर्जुन के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह निर्णय करना था कि क्या मृतक की मृत्यु के समय प्रथम श्रेणी के वारिसान है तो अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है, इस प्रश्न के निर्णय के लिये किसी भी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेने की आवश्यकता नही थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु पर भी गौर किये बिना ही अपील को खारिज करने में अहम कानूनी भूल की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा नही चाही गई थी केवल मात्र फौती नामान्तरकरण में स्वयं के नाम का अंकन करवाना था तथा तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण को खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर में निहित होने के कारण अपील पेश की गइ थी, स्वयं रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब के मध्य से मृतक रामदेव की पुत्रीयॉ होना माना गया है तो नियमित वाद में किसी प्रकार के अधिकार तय होना शेष नही रहा जाता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विरोधाभाषी उल्लेख किया है कि चुनौतीधीन नामान्तरकरण को यथावत रखा जाता है तथा नामान्तरकरण की प्रतियों को भी स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है, इस पकार का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नही आता है क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 22.05.1986 खारिज किये जाना आवश्यक था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 1318 पर तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.1986 को निरस्त फरमाया जावें एवं वादगस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम खोले जाने के आदेश फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1318 विधि

विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप ही है क्योंकि अपीलान्ट का यह कथन कतई गलत है कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया बल्कि सही तथ्य यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की उपस्थिति एवं सहमति से भरा जाकर मजमेंआम राजस्व अभियान में स्वीकार किया गया है, खातेदार रामदेव ने अपने जीवन काल में रेस्पोडेन्ट वगैरा को वादग्रस्त आराजी संभला दी थी और रेस्पोडेन्ट भूरा वगैरहा खातेदार रामदेव के जीवनकाल से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है, वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा थाना बगरू में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/08 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी जिसमें जॉच अधिकारी ने यह पाया था कि खातेदार ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट को उसके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी संभला दी थी और खातेदार रामदेव की मृत्यु के पश्चात् भूरी व कमला देवी ने मजमेआम में रेस्पोडेन्ट भूरा वगैरहा के नाम रामदेव का नामान्तरकरण खोलने की स्वीकृति दी थी, तब से ही अपीलान्ट को उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है उसके बावजूद भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से असाधारण विलम्ब अवधि 24 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 कमला देवी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि नामान्तरकरण संख्या 1318 के सम्बन्ध में हमने सहमति दी थी और हमारी सहमति से ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिन्ग है जिसमें किसी भी पक्षकाराने के अधिकारों का विनिश्चय नही होता है, अधिकारों का विनिश्चय तो नियमित वाद में ही होता है जिसके लिऐ अपीलान्ट भूरी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती, इन्द्राज, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं इस दावे में अपीलान्ट भूरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1318 दिनांक 22.05.1986 को निरस्त कराने एवं अवैध एवं प्रभाव शून्य के प्रार्थना की है, इस प्रकार नियमित वाद में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान एवं विषयवस्तु एक ही है तो नामान्तरकरण की समरी प्रक्रिया में अपीलान्ट के कोई अधिकार तय नही किये जा सकते। उन्होने आगे कथन किया है कि जब सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश किया हुआ है इसलिये नियमित वाद में जो भी निर्णय होगा उसी अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावेगी, यदि यह अपील स्वीकार होती है तो अपीलान्ट का एक तरह से दावा ही डिक्री हो जायेगा ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के जो भी अधिकार है, वह नियमित वाद में तय होंगे और नाामान्तरकरण की कार्यवाही नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित रख जानी कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 को यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब रेस्पोडेन्ट स्वयं अपीलान्ट भूरी देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 कमला देवी को वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार रामदेव पुत्र काना की जायन्दा पुत्रीया माना है जिससे यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 विवादित आराजी के खातेदार रामदेव की प्रथम श्रेणी की वारिस है किन्तु खातेदार रामदेव की मृत्यु पर विरासत के नामान्तरकरण के समय उक्त जायन्दा वारिसान का जिक्र नही आया है और यदि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1318 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की सहमति से ही स्वीकार होता तो निश्चित रूप से इस बात का अंकन भी नामान्तरकरण पर अंकित होता तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय और न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त विवादित नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की सहमति से स्वीकार किया गया साबित होता हो उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08. 2019 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 को एवं नामान्तरकरण संख्या 1318 वाके ग्राम बगरूकलां पर तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.86 को निरस्त किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार रामदेव के प्रथम श्रेणी की वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।